

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:- श्री मारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :- 68/2020

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. ओगड़राम पुत्र लाबुराम जाति गुर्जर निवासी देवली हुल्ला तहसील सोजत जिला पाली।	1. इन्द्राराम उर्फ इन्द्रा पत्नी भीमाराम जाति देवासी निवासी देवली हुल्ला तह0 सोजत जिला पाली राज0। 2. तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत।	

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित:-

1. श्री धर्मीचंद देवासी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

-: निर्णय :-

दिनांक :- 13/12/2024

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम देवली हुल्ला पटवार हल्का मुरडावा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चण्डावल तहसील सोजत के वर्तमान खसरा नम्बर 420 रकबा 1.0600 है0 कृषि भूमि में आवागमन हेतु 20 फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थी के खसरा नंबर 421/2 रकबा 0.3200 है0 में से प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी हैं। प्रार्थी के अपनी भूमि पर आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। प्रार्थी नियमानुसार रास्ते की राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राज0 काश्त0 अधि0 मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये उक्त कदीमी रास्ता जो देवली हुल्ला के खसरा नंबर 421/2 कृषि भूमि में से दिलाये जाने हेतु निवेदन किया है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 01 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश भाटी ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण को जबाब प्रार्थना पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जबाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने से अवसर समाप्त कर जबाब प्रार्थना पत्र बंद किया जाता है।

तहसीलदार सोजत से प्रार्थित रास्ते के सम्बन्ध में वांछित तीनों बिन्दु यथा उपलब्ध वैकल्पिक/निकटतम रास्ता, सुविधा जनक उपयोग हेतु आवेदन, अत्यांतिक आवश्यकता है अथवा नहीं से सम्बद्ध बरूवे मौका रूबरू उभय पक्षकारान मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा चाही गई। तहसीलदार, सोजत ने अपने पत्रांक/राजस्व/2024/1071 दिनांक 13.03.2024 के जरिए प्रस्तुत मौके की वस्तुस्थिति मय नजरी नक्शा सा0मि0 की गई। तहसीलदार सोजत द्वारा सम्बन्धित पटवारी, भू0अभि0निरी0 चण्डावल, द्वारा तैयार फर्द मौका

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत. (राज.)

रुबरू प्रार्थी पक्षकार एवं मौतबिरान तैयार मय नजरी नक्शा रिपोर्ट में अंकित किया कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी ख.नं. 420 में जाने हेतु ख.नं. 421/2 में से रास्ते की मांग की हैं। ख. नं. 421/2 खातेदारी भूमि है, जो कि ग्राम आवादी से सटा हुआ है जिसमें ग्राम आवादी में कच्चे/पक्के बाड़े बने हुए हैं। चूंकि ख.नं. 421 किस्म गै0गु0 मगरी सिवायचक दर्ज हैं। जो कि ग्राम देवली हुल्ला से मुरडावा जाने वाले मुख्य मार्ग से सटा हुआ है तथा ख.नं. 420 से लगता हुआ है। जिस मौके पर पक्का निर्माण नहीं है तथा आंशिक भाग पर अतिक्रमण हैं। प्रस्तावित रास्ता जिसकी लम्बाई × चौड़ाई, 134 मीटर × 4 मीटर = 0.0536 है0 हैं। ख0नं0 421 रकबा 2.3800 है0 में से 0.0536 है0 भूमि रास्ता दिया जाना प्रस्तावित हैं। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0 कीमत 135562/- रुपये प्रति हैक्टर है। जिसके अनुसार (135562/- रूप0 × 2 × 0.0536 है0 = 14532.25/- रुपये बनते हैं। फर्द मौका मय नजरी नक्शा संलग्न उपस्थित मौतबिरान के अंगूठा/हस्ताक्षर सुदा प्रस्तुत किया, जिसमें नजदीकी रास्ता ख0नं0 421 में से मौका फर्द में लाल स्याही से दर्शाया गया है। तहसीलदार, सोजत भू0अ0 निरीक्षक वृत्त चण्डावल की मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा लाल स्याही से दर्शित संलग्न पत्रावली किया गया।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए सरहद मौजा ग्राम देवली हुल्ला पटवार हल्का मुरडावा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चण्डावल तहसील सोजत के वर्तमान खसरा नम्बर 420 रकबा 1.0600 है0 कृषि भूमि में आवागमन हेतु 20 फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थी के खसरा नंबर 421/2 रकबा 0.3200 है0 में से उसकी माठ के सहारे सहारे दिलवाया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में तरमीम किये जाने की ईशतदुआ की है। जबाब में तहसीलदार सोजत द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस वकूलाय उभयपक्षों को सुना तथा राजस्व रेकॉर्ड मय मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन किया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नहीं है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है,।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहुँच हेतु सुविधाजनक मार्ग हेतु आवेदन किया जाना परिलक्षित नहीं होकर तहसीलदार, सोजत भू0अ0निरी0 चण्डावल, पटवारी हल्का की रिपोर्टनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से उक्तानुसार रास्ता दिलवाया जाना अत्यांतिक आवश्यक है, जबकि निकटतम मार्ग खसरा नम्बर 421 में से होकर पाया जाता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित हुए हैं। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के

Mandatory Provision को पूर्ण करने तथा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्तानुसार देय प्रतिकर की दोगुणा राशि रास्ता प्रयोजनार्थ दिलवाया जाना उचित समझते है।

—: आदेश :-

अतः उपरोक्त विवेचना/विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। कि सरहद मौजा ग्राम देवली हुल्ला पटवार हल्का मुरडावा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चण्डावल तहसील सोजत के वर्तमान खसरा नम्बर 420 रकबा 1.0600 है0 कृषि भूमि में आवागमन हेतु 20 फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थी के खसरा नंबर 421/2 रकबा 0.3200 है0 कृषि भूमि में से सम्बद्ध खातेदारानों के नाम के आगे अंकित कृषि भूमि ख0न0 421 में से (135562/- रू0 × 2 × 0.0536 है0 = 14532.25/- रूपये उनके नाम के सामने अंकित भूमि प्रतिकर देय राशि का भुगतान निम्नांकित रूप से उनके हिस्सेनुसार तहसीलदार, सोजत द्वारा (डी0एल0सी0 की दर से दो गुणा प्रतिकर राशि) करवाये जाने पर उपलब्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है:-

क0सं0	ख0नं0 व किस्म	कुल रकबा (है0) में	खातेदारो/काश्तकारो के नाम मय वल्लिदयत कौमियत व सकूनत	रास्ते की भूमि का रकबा है0 में	प्रतिकर की राशि रूपये में (डी0एल0सी की दौगुना)
01.	421 गै0मु0 मगरी	2.3800 है0	राजस्थान सरकार	134 मी0× 4 मी0 = 0.0536 है0	14532.25 /-रू

उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। तहसीलदार, सोजत स्तर पर उक्त आदेश की पालना अर्थात प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जावे। निर्णय की प्रति व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये एवं इनकी प्रति तहसीलदार, सोजत को भेजी जाकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।



(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 19/12/2024 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)